



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228707
CG-DL-E-03082021-228707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943

No. 217]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्या एडी-एसी-05/2020

विषय : मलेशिया से “चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर” के आयातों के द्वारा चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचना रोधी जांच।

1. फा. सं. 7/33/2020- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर सीमा शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 4 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 14/05/2016- डीजीएडी के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए, जिसके तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर” पर अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। वित्त

मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 27/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत प्रारंभिक शुल्क लगाया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले पाटनरोधी जांच के ज़रिए और दिनांक 8 दिसंबर, 2017 की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 14/05/2016-डीजीएडी ('मूल जांच') के तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 4/2018- सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

वर्तमान प्रवंचना रोधी जांच

3. जबकि, सिरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक संघ" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियमों के अनुसार, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद "नियम" के रूप में भी संदर्भित), यह आरोप लगाते हुए कि "सिरामिक टेबलवेयर और बरतन, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर" के आयात पर लगाए गए ये एंटी-डंपिंग शुल्क (इसके बाद "उत्पाद" के रूप में भी संदर्भित) विचाराधीन" या "पीयूसी" या "विषय वस्तु"), जो चीन में उत्पन्न या निर्यात किया गया है (बाद में "विषय देशों" के रूप में भी जाना जाता है) को "सिरामिक टा" के आयात के माध्यम से दरकिनार किया जा रहा है। ब्लीवेयर और बरतन, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर" मलेशिया से निर्यात किया गया [इसके बाद इसे "जांच के तहत उत्पाद" या ("पीयूआई") के रूप में भी जाना जाता है]।
4. सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन लिमिटेड (इसके बाद इसे "आवेदक" अथवा "आवेदक एसोसिएशन" के रूप में भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर सीमा शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 25 और 26 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क (1क) के अनुसार चीन जन. गण. से "चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को, मलेशिया से प्रसंस्कृत और निर्यातित "चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर" (इसके बाद इसे "जांचाधीन उत्पाद" अथवा "पीयूआई" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर भी बढ़ाने का अनुरोध किया। आवेदक ने यह तर्क दिया कि पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना है, जिसमें कि चीन में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद मलेशिया में प्रसंस्कृत किया जा रहा है और उसके बाद उसे मलेशिया के मूल का घोषित किया जा रहा है और भारत को निर्यात किया जा रहा है। यह तर्क दिया गया था कि मलेशिया में किया जा रहा प्रसंस्करण उन्नत है, जिसे निर्यातक के द्वारा मलेशियाई मूल का घोषित कराया जा रहा है और पाटनरोधी शुल्कों के भुगतान से बचा जा रहा है। अतः यह दावा किया गया है कि यह पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना है, जिसका प्रभाव व्यापार के पैटर्न में बदलाव से स्पष्ट है और घरेलू उद्योग के द्वारा इसे पाटनरोधी शुल्कों के उपचारी प्रभावों को कम करने के उपाय के रूप में महसूस किया जा रहा है।
5. जबकि, नियम 26(1) के तहत आवेदक द्वारा दायर एक विधिवत प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकरण ने कथित के अस्तित्व और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए अधिसूचना संख्या 7/33/2020-डीजीटीआर दिनांक 25 सितंबर, 2020 के तहत जांच शुरू की। प्रासंगिक एडी नियमों के अनुसार मलेशिया से "सिरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर" के आयात पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क के विस्तार की सिफारिश पर विचार करना।

ख. प्रक्रिया

6. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्रवंचना रोधी याचिका की शुरुआत के संबंध में मलेशिया के दूतावास को अधिसूचित किया।

- ii. प्राधिकारी ने मलेशिया (इसके बाद इसे प्रवंचना के देश के रूप में भी कहा गया है) से जांचाधीन उत्पाद (इसके बाद इसे 'पीयूआई' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में प्रवंचना रोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 सितंबर, 2020 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने भारत में मलेशिया दूतावास, आवेदन में उपलब्ध सूचना के अनुसार पीयूआई के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, भारत में आयातकों को जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की।
- iv. प्राधिकारी ने पीयूसी/ पीयूआई के ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को लिखा और उन्हें निर्धारित प्रश्नावली में अपने उत्तर दाखिल करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की एक प्रति और उसके साथ ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों की एक सूची भी मलेशिया के दूतावास को भेजी गई, जिसमें निर्धारित समय सीमा में प्राधिकारी को उत्तर देने के लिए निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया।
- v. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति मलेशियाई उत्पादक/ निर्यातक तथा मलेशिया सरकार को भेजी गई थी। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अनुरोध किए जाने पर सार्वजनिक फाइल के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- vi प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार मलेशिया में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रश्नावली भेजी: -

मलेशिया

1.	एक्टेकना ग्लोबल एसडीएन. बीएचडी.	2.	एडवांस स्मार्ट ट्रेडर्स एसडीएन. बीएचडी.
3.	अरुनि इंटरप्राइजेज एसडीएन. बीएचडी.	4.	गेमास इंडस्ट्री
5.	हैफल एंटरप्राइजेज एसडीएन. बीएचडी.	6.	मै. सेगमेंट ट्रेडर्स
7.	मोर्निंग मिस्ट एसडीएन. बीएचडी.	8.	मै. एक्टिव एसडीएन. बीएचडी.
9.	ओरिएंटल सेरामिक इंडस्ट्री	10.	पैक्स यूनिन रिसोर्सेज(एम) एसडीएन. बीएचडी.
11.	परसेटाकनपिनि एसडीएन. बीएचडी.	12.	तेयांग वर्ल्ड एसडीएन. बीएचडी.
13.	टेनमोकु पोटरी (एम) एसडीएन बीएचडी	14.	वाइब्रेंट स्काई एसडीएन. बीएचडी.
15.	यितोंग टेक्नोलोजीज	16.	जियोलाइट मेन्सफोर्ड एसडीएन. बीएचडी.
17.	सेनराँक ("एम") एसडीएन. बीएचडी.	18.	ग्रेनिक्स होलिंग एसडीएन. बीएचडी.
19.	सीड पोर्सेलेन एंड सेरामिक ('एम') एसडीएन. बीएचडी.	20.	जीबीएच क्राउन लाइनन एसडीएन. बीएचडी.

- vii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, तेयांग वर्ल्ड एसडीएन. बीएचडी. (उत्पादक/ निर्यातक, मलेशिया) ने एक निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया। तथापि, उक्त निर्यातक ने काफी हद तक अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है और अपेक्षित सूचना प्रदान करने में विफल रहा है, जैसा कि नीचे विस्तार से समझाया गया है और इस प्रकार से उसे असहयोगी माना जा रहा है। किए गए अनुरोधों को, जहां कहीं भी उन्हें संगत पाया गया उनकी जांच की गई है।
- viii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को भी प्रश्नावली भेजी गई थी:

1.	के.एस.ओवरसीज,	2.	ईस्ट कोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
3.	राज एजेंसीज	4.	वाईएसआर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
5.	बाल-मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6.	व्हाइटगोल्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
7.	आईसीसी रियलिटी (आई) प्रा. लि.	8.	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड
9.	कृष्णा एंटरप्राइजेज	10.	कर्मा ट्रेडिंग

- ix. जांच शुरू करने की अधिसूचना के उत्तर में किसी भी उपरोक्त आयातक, प्रयोक्ता और एसोसिएशन ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर नहीं दिया अथवा उत्तर दाखिल नहीं किया।
- x. निम्नलिखित कंपनियों ने, जो संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक हैं, विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए प्रवंचना उपायों के खिलाफ आवेदन का समर्थन किया है :
- क. मै. क्ले क्राफ्ट प्रा. लि.
- ख. मै. सेरामिक टेबलवेयर प्रा. लि.
- ग. मै. उम्बेटो सेरामिक्स इंटरनेशनल प्रा. लि.
- घ. मै. रघुवर इंडिया प्रा. लिमिटेड
- ड. मै. फीदर टच सेरामिक्स
- च. मै. शान टेबलवेयर प्रा. लि.
- छ. मै. कोंच सेरामिक प्रा. लि.
- ज. मै. सेन्ट्रल ग्लास ऐंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर)
- झ. मै. ईवा सेरामिक्स
- ञ. मै. हरियाणा पोर्ट्रीज
- ट. मै. मॉ शक्ति सेरामिक्स
- ठ. मै. मुद्रिका सेरामिक (आई) लि.
- ड. मै. नरेश पोर्ट्रीज
- ढ. मै. आर.के. पोर्ट्रीज
- ण. मै. एससीके इन्सुलेटर
- त. मै. सोनाकी सेरामिक
- xi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए खुली रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जो इस अवधि में संगत समझे गए हैं, इस प्रकटीकरण विवरण में शामिल किए गए हैं।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

- xiii. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकता के अनुसार और भी सूचना की मांग की गई थी।
- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक, घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।
- xv. अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 (12 माह) (इसके बाद इसे 'जांच की अवधि' अथवा 'पीओआई' के रूप में कहा गया है) के लिए जांच की गई थी। क्षति विश्लेषण के प्रसंग में प्रवृत्तियों की जांच में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि शामिल है।
- xvi. जांच की अवधि सहित विगत चार वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक (डीजीसीआई ऐंड एस) से अनुरोध किया गया था और प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य तथा क्षति विश्लेषण की गणना करने के लिए डीजीसीआई ऐंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया है।
- xvii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 23 फरवरी, 2021 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। सभी पक्षकारों को दिनांक 2 मार्च, 2021 और 9 मार्च, 2021 तक क्रमशः अपने लिखित अनुरोध और लिखित अनुरोध के लिए रिज्वांडर को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था।
- xviii. इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां कहीं भी संगत पाए गए, उन पर इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- xix. जब भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा आवश्यक सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच को पर्याप्त रूप से छिपाया है, तो प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं।
- xx. 29.06.2021 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य थे, जिसमें प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 06.07.2021 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उचित रूप से विचार किया है।
- xxi. इस प्रकटीकरण विवरण में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार की गई सूचना को दर्शाता है।
- xxii. यूएस डॉलर से भारतीय रुपए में परिवर्तन के लिए जांच की अवधि के लिए विचार की गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद/ जांचाधीन उत्पाद और समान वस्तु

विचाराधीन उत्पाद

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. विगत जांचों और वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद 'चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर' हैं।
- ii. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष 6911 और 6912 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 69 के तहत आता है। तथापि, वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वे तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अन्तिम उपयोगों के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः इन्हें नियमावली के अनुसार समान वस्तु माना जाना चाहिए।

ग.2 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दाखिल नहीं किया है।

जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई)

ग.3 घरेलू उद्योग के विचार

9. मलेशिया के मामले में जांचाधीन उत्पाद मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर' (जांचाधीन उत्पाद अथवा पीयूआई) है, जो शीर्ष 6911 और 6912 के तहत वर्गीकृत हैं और वर्तमान जांच में प्रवंचना की वस्तु हैं।
10. चीन में उत्पादक मलेशिया को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहा है और मलेशिया से निर्यातक भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहा है। मलेशिया में किया जा रहा मूल्यवर्धन, कानून के तहत निर्धारित शर्तों से काफी कम है। मलेशिया से निर्यातक, व्यापार करार के तहत उपलब्ध सीमाशुल्क रियायत का लाभ भी नहीं ले रहे हैं, जो स्वयं ही यह स्थापित करता है कि मूल्यवर्धन, व्यापार करार के तहत निर्धारित स्तरों से अलग है।

ग.4 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा जांचाधीन उत्पाद के संबंध में कोई टिप्पणियां अथवा अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.5 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर' के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की एक प्रवंचना रोधी जांच है। अतः वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा, जो विगत में आयोजित जांच अर्थात् दिनांक 08.12.2017 के अंतिम जांच परिणाम में यथा परिभाषित है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :-

"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर' (इसके बाद इसे 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'पीयूसी' के रूप में कहा गया है) के रूप में परिभाषित है।

"8. यह नोट किया गया है कि बोन चाइना, स्टोनवेयर और पोर्सिलेन वेयर सभी सिरामिक उत्पाद हैं और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद में बोन चाइना, स्टोन और पोर्सिलेन के किचनवेयर और टेबलवेयर शामिल हैं। सिरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पादों का प्रयोग घरों और होटलों में खाने, पीने और खाना सर्व करने तथा बेवरेज के प्रयोग के लिए किया जाता है।

"19 संबद्ध वस्तुएं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत वर्गीकृत हैं। ये एचएस कोड 6911 और 6912 के तहत विभिन्न उप शीर्षों के तहत आयातित हैं। तथापि, एचएस कोड केवल संकेतात्मक हैं और उत्पाद का विवरण वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए निर्धारक कारक है।"

13. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि यह शुल्कों की प्रवंचना है, जिसमें कि चीन में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद मलेशिया में प्रसंस्कृत किया जा रहा है और उसके बाद मलेशिया के मूल का होने के रूप में घोषित किया जा रहा है तथा भारत को निर्यात किया जा रहा है। यह तर्क दिया गया था कि मलेशिया में किया जा रहा प्रसंस्करण उन्नत है, जिसके कारण निर्यातक के द्वारा इसे मलेशियाई मूल का घोषित कराया जा रहा है और पाटनरोधी शुल्कों के भुगतान से बचा जा रहा है। अतः यह दावा किया गया है कि इसमें पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना शामिल है, जिसका प्रभाव व्यापार के पैटर्न में बदलाव से स्पष्ट है और घरेलू उद्योग द्वारा इसे पाटनरोधी शुल्कों के उपचारी प्रभावों को कम करने के रूप में महसूस किया जा रहा है।
14. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं मलेशिया से आयातित वस्तुओं के 'समान वस्तु' हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से आयातित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण वस्तुओं के वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का ही एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

15. इसके अलावा, वर्तमान प्रवंचना रोधी जांच में प्राधिकारी ने जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई) को मलेशिया के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर' के रूप में विचार किया है, जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष सं. 6911 और 6912 के तहत वर्गीकृत "जांचाधीन उत्पाद" अथवा "पीयूआई" के रूप में भी संदर्भित किया गया है।
16. तथापि, जांचाधीन उत्पाद का उपरोक्त वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

17. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
- सिरामिक टेबलवेयर और किचन वेयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने प्रवंचना रोधी जांच के लिए आवेदन दाखिल किया है।
 - निम्नलिखित उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के आयातों के लिए भी बढ़ाने का अनुरोध किया है:
 - मै. क्ले क्राफ्ट प्रा. लि.
 - मै. सिरामिक टेबलवेयर प्रा. लि.
 - मै. उम्ब्रेटो सिरामिक्स इंटरनेशनल प्रा. लि.
 - मै. रघुवर इंडिया प्रा. लिमिटेड
 - मै. फीदर टच सिरामिक्स
 - मै. शान टेबलवेयर प्रा. लि.
 - मै. कोंच सिरामिक प्रा. लि.
 - मै. ईवा सिरामिक्स
 - मै. हरियाणा पोर्ट्रीज
 - मै. माँ शक्ति सिरामिक्स
 - मै. मुद्रिका सिरामिक (आई) लि.
 - मै. नरेश पोर्ट्रीज
 - मै. आर.के. पोर्ट्रीज
 - मै. एससीके इन्सुलेटर
 - मै. सोनाकी सिरामिक
 - सीएसआईआर- केन्द्रीय ग्लास और सिरामिक अनुसंधान संस्थान, एक सरकारी निकाय, जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ के लिए ग्लास और सिरामिक में अनुसंधान एवं विकास प्रदान कर रहा है, जिसने आवेदन और शुल्कों का विस्तार करने में समर्थन भी व्यक्त किया है।
 - विगत में आयोजित प्रवंचना रोधी जांचों में घरेलू उद्योग और आधार के दायरे के संबंध में प्राधिकारी की प्रक्रिया और जानकारी पर भरोसा किया गया है। दिनांक 19 मार्च, 2019 को बंगलादेश से जूट सेकिंग बैग के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में प्रवंचना रोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का परीक्षण नियम 26 के तहत परस्पर लागू नहीं हैं। इसके अलावा, चीन जन. गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड

और यूएसए से दिनांक 18 अगस्त, 2017 को कोल्ड रोलड स्टील के संबंध में प्रवंचना रोधी जांच के अन्तिम जांच परिणामों में यह पाया गया था कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का परीक्षण प्रवंचना जांचों में परस्पर लागू नहीं है। इसके बावजूद आवेदक आधार की अपेक्षा को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दाखिल नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सिरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है।

i. ऐसी कंपनियां, जो एसोसिएशन की सदस्य हैं और जिन्होंने संगत सूचना प्रदान की है:

क. मै. क्ले क्राफ्ट इंडिया प्रा. लि.

ख. मै. सिरामिक टेबलवेयर प्रा. लि.

ii. ऐसी कंपनियां, जो एसोसिएशन की सदस्य हैं और जिन्होंने याचिका का समर्थन किया है :

ग. मुद्रिका सिरामिक (आई) लि.

iii. ऐसी कंपनियां, जो एसोसिएशन की सदस्य नहीं हैं और जिन्होंने याचिका का समर्थन किया है :

घ. मै. उम्बेरटो सिरामिक्स इंटरनेशनल प्रा. लि.

ड. मै. रघुवर इंडिया प्रा. लिमिटेड

च. मै. फीदर टच सिरामिक्स

छ. मै. शान टेबलवेयर प्रा. लि.

ज. मै. कोंच सिरामिक प्रा. लि.

झ. मै. ईवा सिरामिक्स

ञ. मै. हरियाणा पोर्ट्रीज

ट. मै. माँ शक्ति सिरामिक्स

ठ. मै. नरेश पोर्ट्रीज

ड. मै. आर.के. पोर्ट्रीज

ढ. मै. एससीके इन्सुलेटर

ण. मै. सोनाकी सिरामिक

20. यह नोट किया जाता है कि दो आवेदक एसोसिएशन मै. क्ले क्राफ्ट इंडिया प्रा. लि. और मै. सिरामिक टेबलवेयर प्रा. लि. ने क्षमता, उत्पादन, बिक्री मूल्य और मात्रा के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है।

21. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि मैसर्स क्ले क्राफ्ट इंडिया प्रा. लि. और मै. सिरामिक टेबलवेयर प्रा. लि., जो कि आवेदक एसोसिएशन की सदस्य हैं, द्वारा किया गया उत्पादन, कुल भारतीय उत्पादन का करीब 30 प्रतिशत है और याचिका को 42 प्रतिशत भारतीय उत्पादन का समर्थन है। यह दोनों घरेलू उत्पादक अर्थात् क्ले क्राफ्ट इंडिया प्रा. लि. और मै. सिरामिक टेबलवेयर प्रा. लि. नियम 2 (ख) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि हर हाल में, 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का परीक्षण नियम 26 के तहत शुरू की गई एक जांच के लिए परस्पर लागू नहीं होता।

ड. प्रवंचना के साक्ष्य**ड.1 घरेलू उद्योग के विचार**

22. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

- i. मलेशिया से निर्यातित चाकू और टॉयलेट वस्तुओं को छोड़कर, सिरामिक टेबलवेयर एवं किचनवेयर के विचाराधीन उत्पाद वर्तमान जांच में प्रवंचना की वस्तुएं हैं। मलेशिया- भारत व्यापक आर्थिक सहयोग करार (एमआईसीईसीए) और एशियाई- भारत मुक्त व्यापार करार (एआईएफटीए) के तहत विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।
- ii. अनुबंध 5 और 6 के तहत, यह देखा गया है कि मलेशिया से भेजे गए काफी आयात भारतीय बाजार में पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
- iii. मलेशिया से निर्यातित एमआईसीईसीए के तहत मूलता के देश और मूल्यवर्धन का दावा करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं और लागू शुल्कों पर किसी रियायत का दावा नहीं कर रहा।
- iv. यूरोपीय संघ विनियम 2019/ 2131 में यह पाया गया कि चीन के मूल के सिरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की जा रही है। चीन में निर्यातित मूलता के देश के संबंध में ऐसे उत्पादों के लिए भ्रामक सूचना छाप रहे थे, जो यूरोपीय संघ, जिसने भी चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है, से बाहर के किसी तीसरे देश को निर्यात करने के लिए भेजे गए थे।
- v. चीन की प्रवंचना के फलस्वरूप (क) भारतीय उद्योग के बाजार अंश में मांग में नुकसान; (ख) पर्याप्त कीमत कटौती; और (ग) पाटन मार्जिन हुआ है।
- vi. तेयांग वर्ल्ड एसडीएन. बीएचडी. नामक एक निर्यातक ने प्राधिकारी को यह दावा करने के लिए अपनी वेबसाइट पर विवरण देकर भ्रम फैलाया था कि वह एक उत्पादक है लेकिन वास्तव में, वह मात्र एक व्यापारी है और प्रवंचना कानून के तात्पर्य से उत्पादन नहीं करता। उसमें निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) (ड.4 (क) में यह कहा गया है कि वह भारत में वितरण चैनल का कार्य कर रहा है, जिससे संदेह उत्पन्न होता है।
- vii. प्राधिकारी (क) कच्ची सामग्रियों के स्रोत; (ख) निर्यातक द्वारा किए गए मूल्यवर्धन की जांच कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई पर्याप्त निर्माण सुविधाएं नहीं हैं। प्राधिकारी यह जांच कर सकते हैं कि निर्यातक वास्तव में संबद्ध वस्तुओं का 'उत्पादन' कर रहा है अथवा चीन की वस्तुओं का मात्र प्रसंस्करण कर रहा है।
- viii. यितोंग टेक्नोलोजीज को विदेशों के लिए एक अन्य वितरण चैनल प्रदान किया गया है, तथापि, भारत को बिक्री चैनल प्रदान करते समय उसके नाम का प्रकटीकरण किया गया है। प्राधिकारी उनके आंकड़ों का सत्यापन कर सकते हैं।
- ix. अपनी वेबसाइट से, यितोंग टेक्नोलोजीज, चीन आधारित चितोंग इंडस्ट्रीज कं. लि./ डींगुआन यितोंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट कं. लि. का एक भाग है, जो सब्लीमेशन मग का निर्माण करता है। इस चीनी कंपनी के साथ निर्यातक के लिंक से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि तेयांग चीन की सामग्री की खरीद कर रहा है और इसे मलेशिया के माध्यम से भेज रहा है।
- x. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) के अनुसार, तेयांग भारत के अलावा इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की और ब्राजील को निर्यात करता है, जिसने कि चीन के सिरामिक टेबलवेयर पर शुल्क लगाए हैं।
- xi. प्राधिकारी 8 मिलियन पीस प्रति वर्ष की सूचित क्षमता का निरीक्षण और सत्यापन कर सकते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग को संदेह है कि इसे बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है।
- xii. प्राधिकारी वर्तमान प्रवंचना रोधी जांच के लिए (क) निर्यातकों और आयातकों के अभिप्राय; (ख) लगाए गए शुल्क पर प्रवंचना के प्रतिकूल प्रभाव; (ग) प्रवंचना की प्रकृति; (घ) निर्यातकों द्वारा प्रक्रिया में मूल्यवर्धन, यदि कोई हो; और (ड.) निर्यातकों और आयातकों के पास जानकारी की संगतता और महता पर विचार कर सकते हैं।

- xiii. पैरा ग.4 (ix) के अनुसार निर्यातक ने यह कहा है कि तेयांग डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज सिंगापुर को भारत, श्रीलंका और बंगलादेश में विपणन एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, यितोंग टेक्नोलोजीज ने भारत का उत्पाद का निर्यात किया है, जो कि मात्र एक चीनी कंपनी है, जो सबलीमेशन मग के उत्पादन में लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने से निर्यातक की एक उत्पादक के रूप में दावा की गई स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगता है।
- xiv. बिक्री कीमत कम है और सामान्य मूल्य से काफी कम है।
- xv. सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रारंभ में स्थापित सामान्य मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।
- xvi. यद्यपि यह स्पष्ट किया गया है कि एक निर्यातक बाजार के अवसरों की तलाश करता है, लेकिन निर्यातक बाजार सुलभ होने के लाभ के लिए प्रवंचना प्रक्रिया का सहारा नहीं ले सकता। प्रतिवादी निर्यातक ने प्रवंचना प्रक्रियाओं का सहारा लिया है ताकि बाजार सुलभ हो सके न कि उसके अपनी ही उत्पाद का वास्तविक निर्यात करता है।

ड.2 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार नामतः तेयांग वर्ल्ड एसडीएन बीएचडी. ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. तेयांग डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज और यितोंग टेक्नोलोजीज, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश में विपणन क्रियाकलाप करने में लगे हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं और न ही ये तेयांग वर्ल्ड से संबद्ध हैं। यह सर्विस दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गई थी।
- ii. निर्यातक जांच की प्रकृति और लागत, आपूर्तिकर्ता तथा दुनिया भर के ग्राहकों के संबंध में सूचना की मांग करने के लिए आवेदक के उद्देश्य के बारे में चिंतित है।
- iii. कंपनी ने 2014 से निर्यात करना शुरू किया है और दुनिया भर में अपनी ग्राहकी को बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा ला रहा है।
- iv. प्राधिकारी द्वारा मांग गए आंकड़े गोपनीय हैं और उनके मूल अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। अतः उन्हें प्राधिकारी के साथ साझा नहीं किया जा सकता।
- v. निर्यातक पाटन में शामिल नहीं है और *** यूएस डॉलर से *** यूएस डॉलर तक की बिक्री कीमत है।
- vi. निर्यात से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह जांच एक पाटनरोधी जांच है अथवा प्रवंचना रोधी जांच है।
- vii. निर्यातक को कोई जानकारी नहीं है कि क्यों आवेदक ने यूरोपीय संघ मामले का उल्लेख किया है क्योंकि वह ऐसा बाजार नहीं था, जहां पर कि निर्यातक अपने उत्पाद की बिक्री कर रहा है। आवेदक के इस तर्क का खंडन करने के लिए कि तेयांग के निर्यात बाजार जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, इजिप्ट तथा मैक्सिको ने चीन पर शुल्क लगाया है, यह कहना है कि कम से कम यूरोपीय संघ उनके बाजार में नहीं है। कारोबार को बनाए रखने के लिए कोई आयातक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता तलाशता है।
- viii. आवेदकों ने भारतीय बाजार में एकाधिकार के लिए इसे कार्यान्वित किया है, जिससे गुणवत्ता और कीमत के मामले को आगे लाया जा सके।
- ix. मलेशियाई बाजार में तेयांग भी चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और बने रहने के लिए उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता में सुधार ला रहा है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. (1) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधान इस प्रकार हैं :-

“सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क (1क), जिसमें केंद्र सरकार, ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, का यह मत है कि उप धारा (1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना हुई है, या तो विवरण अथवा नाम अथवा उस वस्तु के संगठन में परिवर्तन करके, जो ऐसे पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन

है अथवा ऐसी वस्तु का आयात अनअसेंबल्ड अथवा डिसअसेंबल्ड रूप अथवा उसके मूल देश को बदलकर अथवा निर्यात अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया है जिसमें लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी रखा गया है, वह ऐसी वस्तु अथवा उस देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है, जैसी भी स्थिति हो।”

पाटनरोधी नियमावली का नियम 25 :

“25. पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना – (1) प्रवंचना पर किसी परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य, जिसके लिए शुल्क लगाए जाने को छोड़कर अपर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य है, के परिणामस्वरूप भारत और उपायों के अध्यक्षीन किसी देश में अलग-अलग कंपनियों के बीच अथवा किसी देश और भारत के बीच व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में विचार किया जाएगा; और जहां क्षति का साक्ष्य है अथवा शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कीमतों अथवा गुणवत्ताओं अथवा समान उत्पाद के दोनों के संदर्भ में कम किए जा रहे हैं, और जहां समान उत्पाद के लिए पूर्व में सिद्ध सामान्य मूल्यों के संबंध में पाटन का साक्ष्य है, यदि उपयुक्त परिवर्तनों अथवा समायोजनों अथवा नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हो।”

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन किसी वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यातक देश अथवा मूल देश सहित किसी भी देश से भारत में अनअसेंबल्ड, अनफिनिशड अथवा इनकम्प्लीट रूप में किया जाता है तथा उसे भारत में अथवा ऐसे देश में असेंबल, फिनिशड अथवा कम्प्लीट किया जाता है तो ऐसी असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन को लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना माना जाएगा, यदि:

(i) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद अथवा ठीक उससे पूर्व प्रारंभ किया गया हो अथवा बढ़ाया गया हो तथा हिस्से पुर्जों एवं संघटकों का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मूल देश अथवा निर्यातक देश से आयात किया गया हो; और

(ii) असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन के कार्य के परिणामस्वरूप मूल्य असेंबल्ड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत के 35 प्रतिशत से कम हो।

बशर्ते कि प्रौद्योगिकी की खरीद, यथा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्शी प्रभार आदि के निमित्त मूल्यवर्धन व्यय के परिकलन में उल्लिखित हिस्से-पुर्जों के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

व्याख्या-I – मूल्य का अर्थ असेंबल्ड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत में से आयातित हिस्सों पुर्जों अथवा संघटकों का मूल्य घटाकर

व्याख्या-II – “मूल्य” का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा परामर्शी प्रभारों से संबंधित भुगतानों के निमित्त किए गए खर्चों को हिसाब में नहीं दिया जाएगा।

(ख) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु मूल देश से अथवा वस्तु के विवरण, नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन में शामिल किसी प्रक्रिया के अध्यक्षीन रखे जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यात के देश से भारत में आयात किए जाते हैं, वहां ऐसे परिवर्तन लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन उस वस्तु के विवरण अथवा नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रशुल्क वर्गीकरण, यदि कोई है, के अंतर को ध्यान में रखते हुए छोटे रूपों में भी दिखाई देने वाले अथवा उस स्वरूप में वस्तु में परिवर्तन हो रहा है।

(ग) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु उस निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा देश के माध्यम से भारत में आयातित की जाती है जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है तो ऐसे निर्यात लागू

पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यातक अथवा उत्पादक उस वस्तु की अपनी व्यापार परिपाटी, व्यापार पैटर्न अथवा बिक्री के चैनल में निर्यातकों अथवा उत्पादकों अथवा उस देश के माध्यम से भारत में निर्यातित अपने उत्पादों को देने के लिए परिवर्तन करते हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं।

(घ) अन्य कोई तरीका जिससे इस प्रकार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी किया गया है।

25. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद, दोनों के आयातों की जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई ऐंड एस और डीजी सिस्टम के सौदा-वार आंकड़ों पर विचार किया गया है।
26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय उत्पादक/ निर्यातक से संबद्ध हैं। एक पाटनरोधी जांच के अध्यधीन उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत आंकड़े/ सूचना प्रदान करने की जरूरत है ताकि प्राधिकारी कोई निर्धारण कर सके। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया से एकमात्र निर्यातक, जिसने वर्तमान जांच में उत्तर दिया है, ने असहयोग को तरजीह दी है और उसने सभी संगत सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि, निर्यातक ने एक पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, लेकिन प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक है, इस प्रकटीकरण विवरण में निर्यातक के आंकड़ों/ अनुरोध पर विचार किया है।
27. प्राधिकारी ने प्रवंचना वाले देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और ढंग से सूचना प्रदान करने का परामर्श देते हुए प्रश्नावली भेजी। तेयांग वर्ल्ड एसडीएन. बीएचडी., जो मलेशिया से एक निर्यातक है, ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। तथापि, प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारणों से यह पाया है कि वर्तमान जांचों के प्रयोजन के लिए संगत तथ्यों का पता लगाने के लिए उत्तर काफी हद तक अपर्याप्त है :

क. अपने उत्तर के पैरा ड.4 (क) पर निर्यातक ने यह कहा है कि तेयांग डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज भारत में वस्तुओं के अपने वितरण में शामिल है। तथापि, इस कंपनी ने प्राधिकारी के समक्ष उत्तर दाखिल नहीं किया है। प्रश्नावली में यथाप्रदत्त प्राधिकारी के निदेश यहां नीचे दिए गए हैं :

“6. जहां भारत में स्थित कोई मूल, सहायक अथवा कोई अन्य संगत संस्था भारत के लिए विचाराधीन उत्पाद और/अथवा जांचाधीन उत्पाद के तहत उत्पाद के उत्पादन, बिक्रियों, विपणन अथवा सहायक सेवा में शामिल है, वहां प्रत्येक ऐसी संगत कंपनी के लिए एक अलग प्रश्नावली पूरी की जानी है।

7. जहां भारत से बाहर स्थित कोई मूल, सहायक अथवा कोई अन्य संगत संस्था घरेलू तौर पर अथवा भारत के लिए विचाराधीन उत्पाद अथवा जांचाधीन उत्पाद के तहत उत्पाद की बिक्रियों में शामिल है, वह इस प्रश्नावली को ऐसी प्रत्येक संस्था/कंपनी द्वारा अलग से पूरा किया जाना है।”

ख. यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा गलत और अपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के पैरा ग.4 (ix) और ड.4 (क) पर यह कहा गया है कि जांचाधीन उत्पाद भारत में तेयांग डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज अथवा तेयांग वर्ल्ड के जरिए सीधे प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि यितोंग टैक्नोलोजीज भारत के लिए वितरण चैनल का हिस्सा नहीं रहा बताया गया है, लेकिन यह परिशिष्ट घ-6 के तहत ‘विदेशी बाजार’ के तहत बिक्री चैनल का भाग घोषित किया गया बताया गया है। तथापि, आवेदक के इस अनुरोध पर कि यितोंग टैक्नोलोजीज ने भारत को निर्यात किया था और इसके विपरीत कोई अनुरोध भ्रामक है, तब निर्यातक ने अपने लिखित अनुरोध में स्वीकार किया कि यितोंग टैक्नोलोजीज भारत में भी विपणन क्रियाकलाप करने में शामिल था। अतः जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राधिकारी के निर्देश पर विचार करके यितोंग टैक्नोलोजीज ने प्राधिकारी के समक्ष भी एक अलग उत्तर दाखिल करना चाहिए।

ग. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि पर्याप्त साक्ष्य यह दर्शाते हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं कि यितोंग टैक्नोलोजीज चीन आधारित यितोंग इंडस्ट्रीज कं. लि. डीगुआन यितोंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कं. लि. का हिस्सा है, जोकि सब्लीमेशन मग के निर्माता हैं। निर्यातक ने न तो इसका खंडन करने के लिए कुछ साक्ष्य प्रदान किए हैं और न ही यह प्रमाणित किया है कि वह घरेलू कच्ची सामग्री से विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है न कि मात्र एक प्रसंस्करणकर्ता है।

- घ. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है और निर्यातक ने दूसरे शब्दों में यह स्वीकार किया है कि ब्राजील, इंडोनेशिया, इजिप्ट और मैक्सिको जैसे बाजार, जो उनके लक्ष्य हैं, वे ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन से संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाए हैं, क्योंकि कारोबार को बनाए रखने के लिए कोई आयातक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश करता है।
- ड. प्राधिकारी ने दिनांक 10.02.2021 के ई-मेल के तहत, कमियों को ठीक करने के लिए निर्यातक को सूचित किया है। तथापि, निर्यातक ने न तो उत्तर दिया और न ही स्पष्टीकरण दिया और न ही बताई गई कमियों को दूर किया।
28. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने तेयांग वर्ल्ड एसडीएन. बीएचडी. द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को स्वीकार न करना उपयुक्त समझा।

ड.4 व्यापार के पैटर्न में बदलाव

29. प्राधिकारी ने व्यापार पैटर्न को विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उपाय में परिवर्तित करने संबंधी विनिर्दिष्ट मापदंड की जांच की है कि क्या व्यापार पैटर्न में बदलाव किसी आर्थिक औचित्य से उत्पन्न हुआ है अथवा नियम 25 (1) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में है।
30. व्यापार के पैटर्न में बदलाव का विश्लेषण 2016-17 से जांच की अवधि तक की अवधि के लिए किया गया है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद-1 के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है।

वर्ष	मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के आयात (मी. टन)	चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात (मी. टन)
2016-17	-	16,310
2017-18	2,212	12,809
2018-19	4,843	9,506
जांच की अवधि	4,787	11,450

31. यह देखा गया है कि मलेशिया से ऐसे आयात, जो 2016-17 तक अन्यथा मौजूद नहीं थे, ये आयात वर्ष 2017-18 से महत्वपूर्ण हो गए हैं और इनमें आगे 2018-19 में वृद्धि हुई है तथा उसके बाद जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है। साथ ही, चीन से आयातों में 2018-19 तक गिरावट आई है और उसके बाद जांच की अवधि में मामूली वृद्धि हुई।

ड.5 पाटनरोधी शुल्क लगाने के अलावा, आर्थिक और अन्यथा कोई औचित्य

32. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से आयातों पर मलेशिया- भारत व्यापक आर्थिक सहयोग करार (एमआईसीसीसीए) और एशियाई- भारत मुक्त व्यापार करार (एआईएफटीए) के तहत रियायती सीमा शुल्क लगाए जा रहे हैं और इसलिए यदि वस्तुएं पूरी तरह से मलेशिया में उत्पादित हैं तो मूल्यवर्धन व्यापार करार के तहत निर्धारित मूल्यवर्धन शर्त से अधिक हो सकते हैं। इस जांच में, निर्यातक ने पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है, ताकि प्राधिकारी पर्याप्त रूप से सत्यापन कर सके और यह निर्धारित कर सके कि क्या निर्यातक द्वारा दावा किया गया मूल्यवर्धन पर्याप्त है और नियम 25 (2) (क) (ii) के तहत निर्धारित है। इसके अलावा, अन्य उत्पादक/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। पर्याप्त सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी यह पता नहीं लगा सके कि क्या जांच की अवधि के दौरान भारत को किए गए जांचाधीन उत्पाद के निर्यात चीन में उत्पादित वस्तुएं नहीं हैं और नियम 25 के तात्पर्य से भारत को निर्यात करने से पूर्व मलेशिया में प्रसंस्कृत किए जा रहे हैं। इसके अलावा, उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि रियायती शुल्कों का दावा किए बिना भारत को वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण भाग निर्यात किया गया था।
33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार के पैटर्न में बदलाव चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप प्रतीत होता है।

ड.6 मौजूदा पाटनरोधी उपायों और घरेलू उद्योग पर अपवंचना के प्रभाव का मूल्यांकन

34. एक प्रवंचना रोधी जांच में एक आवश्यक पहलू है कि क्या पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उपचारी प्रभावों को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। अतः प्राधिकारी ने उस तरीके की जांच की, जिसमें और प्रवंचना के उत्पादों तक सीमित शुल्कों को निष्प्रभावी कर रहे हैं और उससे वह शुल्क निरर्थक हो रहा है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों के उपचारी प्रभाव बाजार अंश और कीमत कटौती के संदर्भ में, मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के आयातों के कारण निष्प्रभावी हुए हैं।

ड.7 बाजार अंश का मूल्यांकन

35. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग के बाजार अंश की जांच की है, जो नीचे दी गई है :-

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	126	110
अन्य भारतीय उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	99	99
संबद्ध देश- मलेशिया	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	216	212
पाटनरोधी शुल्क वाला देश चीन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	55	66
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	268	245	158
कुल मांग अंश	%	100	100	100	100
	सूचीबद्ध	100	100	100	100

36. यह देखा गया है कि वर्ष 2017-18 में शुल्क लगाए जाने के बाद से, मलेशिया से आयात शुरू किया गया है और 5.74 प्रतिशत का बाजार अंश हासिल किया गया है, जबकि उसी वर्ष, घरेलू उद्योग अपने अंश में 1.43 प्रतिशत तक की वृद्धि ही कर पाया। मलेशिया के आयात जांच की अवधि तक 12.16 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गए हैं और चीन के अंश में उसी अनुपात में गिरावट आई है। अतः यह देखा गया है कि शुल्कों को लगाने के बावजूद, भारतीय उद्योग अपने बाजार अंश को प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है। इसकी बजाय भारतीय उद्योग ने आगे बाजार को खो दिया है।

च. पाटन मार्जिन का आकलन**च.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण**

37. चूंकि मलेशिया में किसी भी निर्यातक ने एक पूर्ण और स्वीकार्य प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करके और नियम 25 के प्रावधान पर विचार करके प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, अतः पहले से स्थापित सामान्य मूल्य के आधार पर और बिना कोई समायोजन किए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सहयोग नहीं किया है कि पहले निर्धारित सामान्य मूल्य के लिए समायोजन किए जाने की जरूरत है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पाद की प्रकृति पर विचार करते हुए, यह आवश्यक नहीं है कि कच्ची सामग्रियों के संबंध में लागतों में संभावित परिवर्तनों के लिए सामान्य मूल्य का समायोजन किया जाए।

38. इसे देखते हुए और अपर्याप्त सहयोग पर विचार करते हुए और मलेशिया के उत्पादकों की भागीदारी को देखते हुए, प्राधिकारी ने मूल जांच के समय पहले स्थापित सामान्य मूल्य के आधार पर और बिना कोई संशोधन किए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य 2.35 यूएस डॉलर/ कि.ग्रा. निर्धारित किया गया है।

च.2 जांचाधीन उत्पाद की निर्यात कीमत

39. प्राधिकारी ने प्रवंचना वाले देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से सूचना प्रदान करने के लिए परामर्श दिया गया था। तेयांग वर्ल्ड एसडीएन. बीएचडी., जो मलेशिया से एक निर्यातक है, ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। तथापि, प्राधिकारी ने संगत पैरा में पहले से स्पष्ट किए कारणों से यह पाया कि वर्तमान जांचों के प्रयोजन के लिए संगत तथ्यों का पता लगाने के लिए उत्तर काफी हद तक अपर्याप्त था। यह शामिल किया जाए कि दिनांक 10 जनवरी, 2021 के ई-मेल के तहत, प्राधिकारी ने निर्यातक को यह सूचित किया कि उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना प्रस्तुत नहीं की थी तथा कानूनी प्रतिनिधित्व और मुख्य कार्यकारी के प्रमाणन (फॉर्मेट -क, ख और ग) में उत्तर में प्रदान नहीं किए गए। यह भी सूचित किया गया था कि निर्यातक प्रश्नावली में निर्धारित विभिन्न परिशिष्ट (1 से 9 तक) पूरी तरह से और निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से दाखिल नहीं किए गए थे और प्रमाणित नहीं हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि सभी परिशिष्ट संबंध फार्मूला के साथ एक्सल शीट में प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। यह भी सूचित किया गया था कि चूँकि तेयांग डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज भारत में वितरण चैनल में शामिल है, अतः उन्हें जांच के प्रयोजन के लिए एक अलग उत्तर दाखिल करना अपेक्षित है। गैट, 1994 के अनुच्छेद VI के पैरा 7 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि

“यदि कोई हितवद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार संगत सूचना प्राधिकारियों से संगत सूचना रखी गई है, अतः यह स्थिति एक परिणाम तक पहुंच सकती है, जो यदि पक्षकार सहयोग नहीं करता तो पक्षकार के लिए कम अनुकूल है।”

40. तथापि, निर्यातक ने बताई गई कमियों का उत्तर या उसमें सुधार नहीं किया।
41. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक ने भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों के संबंध में काफी कम सूचना प्रदान की है। यहां ऊपर दिए गए कारणों से, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए उत्तर स्वीकार नहीं किए जा सके और इसीलिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है।
42. यह देखा गया है कि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े 1.09 यूएस डॉलर प्रति कि. ग्रा. की औसत निर्यात कीमत पर 4787 मी. टन. विचाराधीन उत्पाद का आयात दर्शाते हैं। डीजीसीआई एंड एस से निर्धारित सीआईएफ निर्यात कीमत, कारखाना बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय तथा स्वदेशी माल भाड़ा प्रभारों के लिए समायोजित की गई है। इस प्रकार से निर्धारित निवल निर्यात कीमत 1.03 यूएस डॉलर प्रति कि. ग्रा. है।

च.3 जांचाधीन उत्पाद का पाटन मार्जिन

43. उपरोक्त सामान्य मूल्य और कारखाना बाह्य स्तर पर इस प्रकार से निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन का आकलन किया गया है, जो इस प्रकार है :

विवरण	यूनिट	मलेशिया
सामान्य मूल्य	यूएस डा. प्रति कि. ग्रा.	2.35
निवल निर्यात कीमत	यूएस डा. प्रति कि. ग्रा.	1.03
पाटन मार्जिन	यूएस डा. प्रति कि. ग्रा.	1.32
पाटन मार्जिन	%	128
पाटन	रेंज	120-140

च.4 जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विचाराधीन की निवल बिक्री वसूली के संबंध में प्रवचना का प्रभाव

44. कीमतों पर जांचाधीन उत्पाद के आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में प्रवचना वाले आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है। प्राधिकारी ने इस पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव किया है :

कीमत कटौती	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
आयात की मात्रा	मी. टन	-	2,212	4,843	4,787
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	-	90,858	98,343	86,661
निवल बिक्री वसूली	रु./ मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./ मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	-	120-140	120-140	170-190

45. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत 2017-18 से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती में वृद्धि हुई है।

च.5 जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रभावकारिता में कमी

46. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की मात्रा निर्धारित की है, जो मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर देय होगी। नीचे दी गई तालिका जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी उपायों में कमी मात्रा को दर्शाती है :

अवधि	मलेशिया से आयात की मात्रा	चीन से पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क	विनिमय दर	पाटनरोधी शुल्क	पाटनरोधी शुल्क की राशि
	मी. टन	यूएस डॉ./ कि.ग्रा.		रु./ मी. टन	लाख रु.
2016-17	-	1.04	67.95	70,669	0
2017-18	2,212	1.04	65.33	67,943	1,502.90
2018-19	4,843	1.04	70.82	73,653	3,567.01
पीओआई	4,787	1.04	71.65	74,516	3,567.08
कुल					8,636.99

47. यह देखा गया है कि यदि ये उत्पाद चीन के मूल के घोषित किए जाते तो इन उत्पादों पर 8637 लाख रु. की राशि भुगतान की जानी थी।

छ. प्रकटन पश्चात विवरण

ज. घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियां

48. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत है। फिर भी इसने दोहराया है कि व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, उत्तर देने वाले निर्यातक ने एक त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया, निर्यातक से संबंधित पक्षकार “यीटोंग” चीन आधारित यीटोंग इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (डोंगुआन यीटोंग आर्ट्स एंड

क्राफ्टस लि.), का हिस्सा है, निर्यातक ने अपने व्यापार चैनल के बारे में भ्रामक विवरण भी प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले इसने यह कहा है कि यीटोंग भारत में वितरण में लिप्त नहीं है। लेकिन बाद में घरेलू उद्योग द्वारा इस तथ्य का उल्लेख किए जाने पर कि यह भारत में इस उत्पाद की बिक्री करता है, इसमें सुधार किया। ताइयांग में वितरण के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और यीटोंग भी तथ्यों को छुपाने का प्रयास दर्शाता है।

- ii. यूरोपीय कमीशन ने भी संबद्ध वस्तुओं के चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही प्रवृत्ति भी पायी है और यह दर्शाती है कि चीन के उत्पादक की इस प्रकार के व्यवहार की आदत है और यह पाया कि अलग उद्गम देश का कपटपूर्वक दावा करते हुए चीन के निर्यातक/उत्पादक की सन्निकटता है।
- iii. चीन जन. गण. द्वारा उस रूप में और तरीके से जिसे इस जांच में देखा जा सकता है, शुल्कों की प्रवृत्ति के कारण शुल्कों को हानि पहुंची है जिसे बाजार हिस्से पर प्रभाव, कीमत में कटौती के स्तरों और बहुत अधिक मात्रा में पाटन मार्जिन से देखा जाएगा।

झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियां

49. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

ञ. प्राधिकारी द्वारा जांच

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध को दोहराया गया है। इन अनुरोधों की जांच इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर पहले ही की जा चुकी है।

ट. निष्कर्ष

51. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और ऊपर में दिए गए विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :
 - a. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच के अधीन उत्पाद के मामले में व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। जांच के अधीन उत्पाद के आयातों में 2017-18 से बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है और चीन से जांच के अधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है।
 - b. ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार के पैटर्न में इस प्रकार के परिवर्तन के लिए शुल्कों को लगाए जाने को छोड़कर कोई आर्थिक औचित्य नहीं है।
 - c. जांच के अधीन उत्पाद के आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं।
 - d. जांच के अधीन उत्पाद के आयात के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को हानि हुई है।
 - e. चूंकि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है अतः विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के कारण वाणिज्यिक लाभ के कारण निर्यात करने वाले जांच के अधीन उत्पाद द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्राप्त हुआ है।

ठ. सिफारिशें

52. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी जांच के अधीन उत्पाद पर दिनांक 21 फरवरी, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के द्वारा लगाए गए चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं पर निम्नलिखित के अध्यक्षीन नीचे दी गई तालिका के अनुसार मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश करते हैं:

जांच के अधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता उस समय तक रहेगी कि जब तक दिनांक 21 फरवरी, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद अर्थात् “चाकुओं और शौचालय से संबंधित मदों को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचन वेयर” पर शुल्क लगा रहेगा।

शुल्क-तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष ***	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6911 तथा 6912	सेरेमिक टेबलवेयर एंड किचनवेयर	कोई	मलेशिया	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	1.32	किग्रा.	अम.डॉ.
2	6911 तथा 6912	सेरेमिक टेबलवेयर एंड किचनवेयर	कोई	मलेशिया	कोई	कोई भी	कोई भी	1.32	किग्रा.	अम.डॉ.
3	6911 तथा 6912	सेरेमिक टेबलवेयर एंड किचनवेयर	कोई	मलेशिया और चीन पीआर के अलावा	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	1.32	किग्रा.	अम.डॉ.

***नोट – सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। ऊपर में उल्लेख किया गया विचाराधीन उत्पाद उस स्थिति में भी ऊपरयुक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन होना चाहिए जब इसका आयात किसी अन्य एच एस कोड के अंतर्गत किया जाता हो।

53. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धाराएं 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल हैं।

ड. आगे की प्रक्रिया

54. इस जांच परिणाम के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2021

FINAL FINDINGS

Case No.-AD-AC-05/2020

Subject : Anti-Circumvention investigation concerning circumvention of anti-dumping duty imposed on imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from China PR, by imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding Knives and Toilet Items” from Malaysia.

1. **F. No. 7/33/2020-DGTR** – Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) vide Notification No.14/05/2016-DGAD dated 4th May, 2017 issued preliminary finding recommending imposition of provisional duties on “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from China PR. The preliminary duty was imposed by the Ministry of Finance vide their Notification No.27/2017-Customs (ADD) dated 12th June, 2017. The Authority, through antidumping investigation and vide Final Findings Notification F.No.14/05/2016-DGAD dated 8th December, 2017, (“Original investigation”) had earlier recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from China PR, and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018.

Present Anti-circumvention investigation

3. Whereas, Ceramic Tableware & Kitchenware Manufacturers Association (hereinafter referred to as the “Applicant” or “Applicant association”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), alleging that these anti-dumping duties imposed on imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China (hereinafter also referred to as the “subject countries”) are being circumvented by way of imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” exported from Malaysia [hereinafter also referred to as “Product Under Investigation” or (“PUI”)].
4. Ceramic Tableware & Kitchenware Manufacturers Association Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant” or “Applicant Association”) filed an application requesting extension of the anti-dumping duties imposed on imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” from China PR to the imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” processed and exported from Malaysia (hereinafter also referred to as “Product Under Investigation” or “PUI”), in accordance with Section 9A(1A) of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 25 and 26 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The Applicant contended that there is circumvention of anti dumping duties, wherein the product under consideration produced in China PR is being processed in Malaysia and thereafter being declared as originating in Malaysia and exported to India. It was contended that the processing being undertaken in Malaysia is incremental, enabling the exporter to declare country of origin as Malaysia and avoid

payment of anti-dumping duties. Therefore, it has been claimed that this constitutes circumvention of anti dumping duty, effect of which is evident from the change in the pattern of trade and undermining remedial effects of the Anti-dumping duties being felt by the domestic industry.

5. Whereas, in view of a duly substantiated application filed by the Applicant under Rules 26 (1), the Authority initiated the investigation vide Notification No. 7/33/2020-DGTR dated 25th September, 2020 to determine the existence and effect of the alleged circumvention of the ADD levied and to consider recommendation of extension of the exiting antidumping duty on the imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” from Malaysia, in accordance with relevant AD Rules.

B. PROCEDURE

6. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation.
 - i. The Authority notified the Embassy of Malaysia about the initiation of an Anti-Circumvention petition in accordance with the Act and the Rules.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 25th September 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-circumvention investigation concerning imports of product under investigation (hereinafter also referred to “PUI” from Malaysia (hereinafter also referred to as the circumventing country).
 - iii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the Embassy of Malaysia in India, known exporters/producers of PUI, importers in India as per information available in the application.
 - iv. The Authority wrote to the known exporters/ producers of the PUC/PUI and requested them to file their responses in the prescribed questionnaire and make their views known in writing within the time limit prescribed. A copy of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassy of Malaysia, along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/ producers to respond to the Authority within the prescribed time.
 - v. A copy of the non-confidential version of the application filed by the petitioner was sent to the Malaysian producer/ exporters, and the Government of Malaysia. A copy of the non-confidential version of the application was also made available to the interested parties, on request, through public file.
 - vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in Malaysia in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Malaysia

1.	Actechna Global SDN.BHD	2.	Advance Smart Traders SDN BHD
3.	Aruni Enterprises SDN BHD	4.	Gamas Industry
5.	Haifal Enterprise SDN BHD	6.	M/S Segmant Traders
7.	Morning Mist SDN BHD	8.	M/S Active SDN BHD
9.	Oriental Ceramic Industry	10.	Pax Union Resources (M) SDN BHD
11.	PercetakanPmi SDN BHD	12.	Taeyang World SDN BHD
13.	Tenmoku Pottery (M) SDN BHD	14.	Vibrant Sky SDN BHD
15.	Yitong Technologies	16.	Zeolite Mansford SDN. BHD.
17.	Sanroc (‘M’) SDN BHD	18.	Granics Holdings SDN BHD
19.	Seed Porcelain And Ceramic (‘M’) SDN BHD	20.	GBH Crown Lynn SDN BHD

- vii. In response to the initiation of the subject investigation, Taeyang World Sdn. Bhd. (Producer/Exporter, Malaysia), filed an exporter questionnaire response. The said exporter however, has submitted a highly deficient response and failed to provide the requisite information as explained in detail herein below, and is thus being treated as non-cooperative. Submissions made, wherever found relevant, have been examined.
- viii. Questionnaires were also sent to the following known importers, users and Associations of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.

1.	K.S.Overseas,	2.	East Coast Distributors Pvt. Ltd.
3.	Raj Agencies	4.	YSR Industries Pvt. Ltd.
5.	Wal-Mart India Private Limited	6.	Whitegold Trading Co. Pvt. Ltd.
7.	ICC Realty (I) Pvt. Ltd.	8.	Future Retail Limited
9.	Krishna Enterprises	10.	Karma Trading

- ix. In response to the initiation notification, none of the above-mentioned importers, users and Associations have responded or filed the questionnaire response.
- x. Following companies who are producers of the subject goods have supported the application against circumvention of measures imposed on the PUC.
- M/s Clay Craft India Pvt. Ltd.
 - M/s Ceramic Tableware Pvt. Ltd.
 - M/s Umberto ceramics International Pvt. Ltd.
 - M/s Raghuvar India Pvt. Limited
 - M/s Feather Touch Ceramics
 - M/s Shan Tableware Pvt. Ltd.
 - M/s Conch Ceramic Pvt Ltd
 - M/s Central Glass & Ceramic Research Institute (CSIR)
 - M/s Eva Ceramics
 - M/s Haryana Potteries
 - M/s Maa Shakti Ceramics
 - M/s Mudrika Ceramic (I) Ltd
 - M/s Naresh Potteries
 - M/s R.K. Potteries
 - M/s SCK Insulator
 - M/s Sonaki Ceramic
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant at this stage have been taken into account in final findings.
- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xiii. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
- xiv. Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xv. Investigation was carried out for the period starting from April, 2019 to March, 2020 (12 months) (hereinafter referred to as the “period of investigation” or “POI”). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.
- xvi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the details of imports of subject goods during the last four years, including the period of investigation, and the same was received by the Authority. The Authority has used the DGCI&S imports data for the computation of the volume and the value of imports and injury analysis.
- xvii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in hearing held on 23rd February, 2021. All the parties were requested to submit their written submissions and the rejoinder, to the written submissions latest by 2nd March, 2021 and 9th March, 2021 respectively.
- xviii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not the provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xx. A Disclosure Statement was issued on 29.06.2021 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, granting time up to 06.07.2021 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from the interested parties appropriately.
- xxi. *** in this disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1USD=Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION/ PRODUCT UNDER INVESTIGATION AND LIKE ARTICLE

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

C.1 Views of the Domestic Industry

- 7. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and the like article:
 - i. The product involved in the previous investigation and the present investigation is “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items”.
 - ii. PUC falls within Chapter 69 of the Custom Tariff Act, 1975 under custom sub-heading 6911 and 6912 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
 - iii. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported into India. They are comparable in terms of the technical specifications, quality, functions or end-uses. The two are technically and commercially substitutable. Hence, should be treated as like articles in accordance with the Rules.

C.2 Views of the Opposing Interested Parties

8. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties have filed any comment or submissions with regard to the product under consideration and like articles.

PRODUCT UNDER INVESTIGATION (PUI)

C.3 Views of the Domestic Industry

9. The product under investigation in case of Malaysia is “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from Malaysia (product under investigation or PUI). Classified under 6911 and 6912, and is the object of circumvention in the present investigation.
10. The producer in China is exporting the product under consideration to Malaysia, and the exporter from Malaysia is exporting the product under investigation to India. The value addition being carried out in Malaysia is woefully below the conditions prescribed under the law. The exporter from Malaysia is not availing even customs duty concession available under the trade agreement between India and ASEAN which itself establishes that the value addition is below the conditions prescribed under the trade agreement. On facts, the value addition is negligible, leave aside the levels prescribed under the law.

C.4 Views of the Opposing Interested Parties

11. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties have filed any comments or submissions with regard to the product under investigation.

C.5 Examination by the Authority

12. The present investigation is an anti-circumvention investigation of duties imposed on imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from China PR. Therefore, the scope of the product under consideration in the present investigation, remains the same as defined in the last conducted investigation, i.e. final findings dated 08.12.2017, which is reproduced herein below:

“7. The product under consideration in the present investigation is defined as “Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items” (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or PUC).

8. It is noted that bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of bone china, stone and porcelain. Ceramic tableware and kitchenware products are used for the purpose of eating, drinking and serving food and beverages in homes and hotels.

19. Subject goods are classified under Chapter 69 of Customs Tariff Act, 1975. It is imported under various subheadings under HS code 6911 and 6912. However, the HS codes are indicative only and product description is the determining factor for the purpose of present investigation.”

13. The applicant contended that there is circumvention of duties, wherein the product under consideration produced in China is being processed in Malaysia and thereafter being declared as originating in Malaysia and exported to India. It was contended that the processing being undertaken in Malaysia is incremental, enabling the exporter to declare country of origin as Malaysia and avoid payment of anti-dumping duties. Therefore, it has been claimed that this constitutes circumvention of anti dumping duty, effect of which is evident from the change in pattern of trade and undermining remedial effects of Anti-dumping duties being felt by the domestic industry.
14. The Authority notes from the information on record that the subject good produced by the domestic industry is “like article” to the goods imported from Malaysia. The subject goods produced by the Indian industry and imported from Malaysia are comparable in terms of technical specifications, functions or end-uses product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

15. Further, in the present anti-circumvention investigation the Authority has considered the product under investigation (PUI) as “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from Malaysia also referred to as “Product under Investigation” or “PUI” classified under sub-heading no 6911 and 6912 of the Customs Tariff Act.
16. The above-stated classification of the product under investigation considered, however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of the Domestic Industry

17. The domestic industry has made the following submissions with regard to the domestic industry and standing:
 - i. Ceramic Tableware & Kitchenware Manufacturers Association has filed the application for anti-circumvention investigation.
 - ii. The following producers have expressed their concern on the circumvention of the ADD and have requested for the extension of the current ADD on imports of the product under consideration from China to imports of PUI from Malaysia:
 - a. M/s Clay Craft India Pvt. Ltd.
 - b. M/s Ceramic Tableware Pvt. Ltd.
 - c. M/s Umberto ceramics International Pvt. Ltd.
 - d. M/s Raghuvar India Pvt. Limited
 - e. M/s Feather Touch Ceramics
 - f. M/s Shan Tableware Pvt. Ltd.
 - g. M/s Conch Ceramic Pvt Ltd
 - h. M/s Eva Ceramics
 - i. M/s Haryana Potteries
 - j. M/s Maa Shakti Ceramics
 - k. M/s Mudrika Ceramic (I) Ltd
 - l. M/s Naresh Potteries
 - m. M/s R.K. Potteries
 - n. M/s SCK Insulator
 - o. M/s Sonaki Ceramic
 - iii. CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute, a government body providing R&D in glass and ceramic for economic, environmental and societal benefit, has also expressed support to the application and to the extension of duties.
 - iv. Reliance is placed on Authority’s practice and understanding on the scope of the domestic industry and standing in previously conducted anti-circumvention investigations. In the final finding of anti-circumvention investigation concerning ADD imposed on imports of jute sacking bags from Bangladesh dated 19th March 2019, the Authority held that test of 25% and 50% are not per se applicable under rule 26. Further, in the final findings of anti-circumvention investigation concerning cold rolled steel from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA dated 18th August 2017, it was held that test of 25% and 50% are not per se applicable in circumvention investigations. Notwithstanding, the applicant satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry within the meaning of the AD Rules.

D.2 Views of the other Interested Parties

18. None of the exporters, importers, consumers and any other interested parties has filed any comment or submission with regard to the standing of the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

19. The application has been filed by the Ceramic tableware and Kitchwenware Manufacturers Association.
 - i. Companies who are members of the Association and who have provided relevant information are:
 - a. M/s Clay Craft India Pvt. Ltd.
 - b. M/s Ceramic Tableware Pvt. Ltd.
 - ii. Companies who are members of the Association and who have supported the petition
 - c. Mudrika Ceramic (I) Ltd
 - iii. Companies who are not members of the Association and who have supported the petition
 - d. M/s Umberto ceramics International Pvt. Ltd.
 - e. M/s Raghuvar India Pvt. Limited
 - f. M/s Feather Touch Ceramics
 - g. M/s Shan Tableware Pvt. Ltd.
 - h. M/s Conch Ceramic Pvt Ltd
 - i. M/s Eva Ceramics
 - j. M/s Haryana Potteries
 - k. M/s Maa Shakti Ceramics
 - l. M/s Naresh Potteries
 - m. M/s R.K. Potteries
 - n. M/s SCK Insulator
 - o. M/s Sonaki Ceramic
20. It is noted that two members of the applicant Association, M/s Clay Craft India Pvt. Ltd. And M/s Ceramic Tableware Pvt. Ltd., have submitted information on capacity, production, sales value and volume.
21. Information on record shows that the production by the M/s Clay Craft India Pvt. Ltd. And M/s Ceramic Tableware Pvt. Ltd. Who are members of applicant Association constitute approximately 30% of the total Indian production, and the petition is supported by 42% of the Indian production. These two domestic producers i.e. M/s Clay Craft India Pvt. Ltd. And M/s Ceramic Tableware Pvt. Ltd are considered as eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b). It is however, noted that in any case, the test of 25% and 50% are not per se applicable for an investigation initiated under Rule 26.

E. EVIDENCE OF CIRCUMVENTION**A.1 E.1 Views of the Domestic Industry**

22. The following submissions were made by the domestic industry:
 - i. The PUI of Ceramic tableware and kitchenware, excluding knives and toilet items exported from Malaysia is the object of circumvention in the present investigation. Under the Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA) and Asean-India Free Trade Agreement (AIFTA), the PUI is exempted from payment of custom duties.
 - ii. Under Annexure 5 and 6, it is seen that significant imports consigned from Malaysia are entering the Indian market after payment of full customs duty.
 - iii. Exporters from Malaysia are not able to fulfil the conditions prescribed to claim country of origin and value addition under MICECA and are not claiming any concession on applicable duties.
 - iv. EU Regulation 2019/2131 found that anti-dumping duty imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in China is being circumvented. Exporters in China were printing misleading information regarding country of origin, which was destined for export to a third country outside EU that had also imposed ADD on China.

- v. China's circumvention has resulted in (a) loss of Indian industry's market share in demand; (b) significant price undercutting; and (c) dumping margin.
- vi. One of the exporters, namely Taeyang World Sdn. Bhd., had misled the Authority by statements made on its website to claim that it is a producer but in fact, it is merely a trader and does not undertake production within the meaning of the circumvention law. Its EQR (E.4 (a)) states that it is involved in distribution channel in India, which raises suspicion.
- vii. Authority may investigate (a) source of raw materials; (b) value addition carried out by the exporter as it does not have sufficient manufacturing facilities. Authority may examine if exporter is actually 'producing' the subject goods or is merely processing Chinese goods.
- viii. Yitong technologies has been provided as another distribution channel for overseas, however, its name while providing sales channel to India has not been disclosed. Authority may verify their data.
- ix. From their website, Yitong technologies is a part of China-based Yitong Industries Co. Ltd./Dongguan Yitong Arts and Crafts Co. Ltd. Which manufactures sublimation mugs. The link of the exporter with this Chinese company cannot be denied. It seems Taeyang is procuring Chinese material and routing it from Malaysia.
- x. As per EQR (Exporter Questionnaire Response), Taeyang exports to Egypt, Indonesia, Turkey and Brazil other than India, have imposed duties on Chinese ceramic tableware.
- xi. Authority may inspect and verify the capacity of 8 million pieces per year reported, as the domestic industry suspects it to be an exaggeration.
- xii. Authority may consider the (a) intention of exporters and importers; (b) adverse impact of circumvention on the imposed duty; (c) nature of circumvention; (d) value addition in the process by exporters, if any; and (e) relevance and importance of knowledge with the exporters and importers, for the present anti-circumvention investigation.
- xiii. As per para C.4(ix), exporter stated that Taeyang Distribution Services Singapore has been appointed as the marketing agent in India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. However, Yitong Technologies exported product to India, which is merely a Chinese company engaged in producing sublimation mugs. Suppression of such vital facts raises serious question on the claimed status of the exporter as a producer.
- xiv. The selling price is low and significantly below the normal value.
- xv. The normal value should be determined based on the normal value originally established.
- xvi. While it is justified that an exporter explores market opportunities, the exporter cannot resort to circumvention practices in order to gain market access. The responding exporter has resorted to circumvention practices in order to gain market access, and not genuine exports of their own production.

A.2 E.2 Views of the Opposing Interested Parties

- 23. The opposing interested party, namely Taeyang World SdnBhd, made submissions as under:
 - i. Taeyang Distribution Services and Yitong Technologies were engaged to carry marketing activities in India, Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh. Both are not related to each other nor related to Taeyang World. The service was terminated on 31st December 2020.
 - ii. The exporter is concerned about the nature of the investigation and applicant's motive in seeking information about cost, suppliers and clients around the world.
 - iii. The company started exporting from 2014, and went through tough competition to build its clientele world over.
 - iv. The data requested by the Authority is confidential and important for core survival, and therefore cannot be shared with the Authority.
 - v. The exporter is not involved in dumping and the selling price is in the range of USD 0.35 to USD 0.45.

- vi. The exporter is unclear whether this investigation is an anti-dumping investigation or anti circumvention investigation.
- vii. The exporter has no idea why the applicant has mentioned EU case because that was not the market where the exporter is selling its product. To rebut applicant's argument that Taeyang's export markets such as Brazil, Indonesia, Egypt and Mexico have imposed duties on China, it is stated that at least EU is not their market. Any importer looks for alternative supplier in order to sustain business.
- viii. Applicant brought this to action to monopolise Indian market which would lead to quality and price issue.
- ix. Taeyang in Malaysian market also facing competition from China and is improving variety and quality of products to sustain.

A.3 E.3 Examination by the Authority

24. (1) The Authority noted that the submissions made by various interested parties and the relevant provision of the Act/Rules as under:

“Section 9A(1A) of the Customs Tariff Act Where the Central Government, on such inquiry as it may consider necessary, is of the opinion that circumvention of anti-dumping duty imposed under sub-section (1) has taken place, either by altering the description or name or composition of the article subject to such anti- dumping duty or by import of such article in an unassembled or disassembled form or by changing the country of its origin or export or in any other manner, whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the anti-dumping duty to such article or an article originating in or exported from such country, as the case may be.”

Rule 25 of Anti-Dumping Rules:

“25. Circumvention of anti-dumping duty.- (1) Circumvention shall be considered as a change in the pattern of trade between any country and India or between individual companies in any country subject to measures and India, as a result of a practice, process or work for which there is insufficient cause or economic justification other than the imposition of the duty; and where there is evidence of injury or that the remedial effects of the duty are being undermined in terms of the prices or quantities or both of the like product; and where there is evidence of dumping in relation to the normal values previously established for the like product, if necessary with appropriate changes or adjustments or in accordance with the provisions of rule 10.

(2) The practice, process or work referred to in the sub-rule (1) includes, interalia,-

- (a) where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti-dumping duty, in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in any other country, such assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if, -*
 - (i) the operation started or increased after, or just prior to, the anti-dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty; and*
 - (ii) the value added to the inputs brought in, during the assembly or completion operation, is less than 35% of the manufacturing cost:*

Provided that for calculation of value addition, expenses on account of procurement of technology, such as patents, copyright, trademark, royalty, technical know-how, consultancy charges, etc., shall not be included in the value of the parts brought in.

Explanation I. – ‘Value’ means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components.

Explanation II. – For the purposes of calculating the ‘value’, expenses on account of payments relating to intellectual property rights, royalty, technical know-how fees and consultancy charges, shall not be taken into account.

(b) where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from country of origin or country of export notified for the levy of anti-dumping duty after being subjected to any process involving alteration of the description, name or composition of an article, such alteration shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if the alteration of the description or name or composition of the article subject to anti-dumping duty results in the article being altered in form or appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification, if any;

(c) where an article subject to anti-dumping duty imported into India through any exporter or producer or country not subject to anti-dumping duty, such exports shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if the exporters or producers notified for the levy of anti-dumping duty change their trade practice, pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their products exported to India through any exporter or producer or country not subject to anti-dumping duty;

(d) any other manner whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective.”

25. For the purposes of examination of imports of both PUC and PUI, the Authority has considered transaction wise data of DGCI&S and DG System.
26. The Authority noted that the AD measure is producer/exporter specific. The producers/exporters subjected to an AD investigation need to provide relevant data/ information so that the Authority can make a determination. The Authority notes that the sole exporter from Malaysia who has responded in the present investigation has preferred non-cooperation, and has not provided all the relevant information. The Authority notes that while the exporter has not filed a complete questionnaire response, the Authority wherever necessary has considered the exporter’s data/submission, in this final findings.
27. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the circumventing country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. Taeyang World Sdn. Bhd., an exporter from Malaysia filed the Exporter Questionnaire Response. However, the Authority for the following reasons finds that the response is grossly inadequate to ascertain relevant facts for the purpose of the present investigation:
 - a. At para E.4(a) of its response, the exporter has stated that Taeyang Distribution Services is involved in its distribution of goods in India. However, the said company has not filed response before the Authority. Instructions of the Authority as provided in the questionnaire are stated herein below:

“6. Where a parent, subsidiary or any other related entity located in India is involved in the production, sales, marketing or support service of the product under consideration and/or product under investigation to the India, a separate questionnaire has to be completed for each such related company concerned.

7. Where a parent, subsidiary or any other related company located outside India is involved in the sales of the product under consideration or product under investigation domestically or to India or is producing the product under consideration or product under investigation, this questionnaire has to be completed separately by each such entity/company in question.”
 - b. It is seen that incorrect and incomplete facts have been presented by the exporter. At paras C.4(ix) and E.4(a) of the Exporter Questionnaire Response filed, it has been stated that PUI enters India via Taeyang Distribution Services or Taeyang World directly. While YitongTechnologies was not stated to have been part of the distribution channel to India, it was seen to have been declared as part of sales channel under “overseas market” under Appendix D-6. However, upon the applicant’s submission that Yitong Technologies had exported to India and any submission to the contrary is misleading, the exporter then admitted in its written submission that Yitong Technologies was involved to carry

marketing activities in India as well. Therefore, as cited above, considering the Authority's instruction, Yitong Technologies should have also filed a separate response before the Authority.

- c. The domestic industry submitted that sufficient evidence is publicly available showing that Yitong Technologies is part of China-based Yitong Industries Co. Ltd. Dongguan Yitong Arts and Crafts Co. Ltd. Which manufactures sublimation mugs. The exporter has neither provided some evidence to refute this, nor established that it is a producer of the product under investigation from domestic raw material and is not a mere processor.
 - d. The domestic industry contended, and the exporter has admitted in other words that markets of countries such as Brazil, Indonesia, Egypt and Mexico, targeted by them have imposed duties on the subject goods from China.
 - e. The Authority informed the exporter to rectify the deficiencies vide email dated 10-02-2021. However, the exporter did not respond nor clarified nor rectified the deficiencies raised.
28. In view of the above, the Authority considers it appropriate not to accept the response filed by Taeyang World Sdn. Bhd..

E.4 Change in Pattern of Trade

29. The Authority has examined the stipulated criteria on shift in the trade pattern to PUC from PUC to PUI, whether change in trade pattern is stemmed from an economic justification or is on account of the levy of ADD, in accordance with Rule 25(1).
30. The change in pattern of trade has been analysed from 2016-17 to the POI, analysing the volume of imports of the PUC and PUI-I.

Years	Imports of PUI from Malaysia (MT)	Imports of PUC from China PR (MT)
2016-17	-	16,310
2017-18	2,212	12,809
2018-19	4,843	9,506
POI	4,787	11,450

31. It is seen that imports from Malaysia that were otherwise non-existent till 2016-17. The imports have become significant since 2017-18 and further increased in 2018-19 and thereafter declined marginally during POI. At the same time, imports from China declined till 2018-2019 and thereafter slightly increased in POI.

E.5 Justification Economic or Otherwise Other than Imposition of Anti-Dumping Duty

32. It is noted that the imports from Malaysia are allowed for concessional customs duty under the Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA) and Asean-India Free Trade Agreement (AIFTA), and therefore, if the goods are wholly produced in Malaysia, the value addition may be beyond the value addition condition prescribed under the trade agreement. In this investigation, the exporter has not fully cooperated to enable the Authority to verify adequately and determine whether value addition claimed by the exporter is sufficient and as prescribed under Rule 25(2)(a)(ii). Further, none of the other producers/exporters have participated in the present investigation. Because of absence of sufficient cooperation, the Authority could not, therefore, ascertain whether PUI exports to India made during the POI do not constitute goods produced in China, and are processed in Malaysia before exporting to India within the meaning of Rule 25. Further, available evidence shows that a significant proportion of the goods were exported to India without even claiming concessional duties.
33. The Authority notes that change in pattern of trade appears to be a result of imposition of ADD on imports from China.

E.6 Assessment of effect of circumvention on existing Anti-dumping measures and Domestic Industry.

34. An essential aspect in an anti-circumvention investigation is to ascertain whether remedial effects of the anti-dumping duty imposed earlier are being undermined. The Authority therefore examined the manner in which and to the extent the circumvented products are undermining the duty imposed and thereby rendering such duty as redundant. The Authority has examined whether the remedial effects of anti-dumping duties are undermined in terms of market share and price undercutting due to the imports of the product under investigation from Malaysia.

E.7 Market share assessment

35. The Authority has examined the market share of the demand of the subject goods in India and is provided as under:

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of DI	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>126</i>	<i>110</i>
Sales of other Indian industry	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>99</i>	<i>99</i>
Subject Country – Malaysia	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>216</i>	<i>212</i>
Country attracting ADD China	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>76</i>	<i>55</i>	<i>66</i>
Other Countries	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>268</i>	<i>245</i>	<i>158</i>
Total Demand Share	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

36. It is seen that since imposition of duties in 2017-18, imports from Malaysia started and captured a market of 5.74%, whereas that same year, the domestic industry could only increase its share by 1.43%. The Malaysian imports have reached level of 12.16% by the POI the and share of China PR has declined by almost the same proportion. It is thus seen that despite the imposition of duties, the Indian industry has not been able to recover its market share. Rather, the Indian industry lost further market.

F. ASSESSMENT OF DUMPING MARGIN

F.1 Determination of Normal Value

37. Since none of the exporters in Malaysia have adequately cooperated with the Authority by submitting a complete and acceptable questionnaire response, and considering the provisions of Rule 25, the normal value has been determined on the basis of normal value previously established, and without any adjustment. The Authority notes that the exporter has not sufficiently cooperated to establish that there is a need for adjustment to the normal value previously determined. The Authority further notes that considering the nature of the product, it is not necessary to adjust the normal value for possible changes in the costs on account of raw materials.
38. In view of the same and considering insufficient cooperation and participation from the Malaysian producers, the Authority has determined normal value on the basis of normal value previously established at the time of original investigations, and without any modification. Accordingly, the normal value determined is US\$ 2.35/Kg.

A.3.1 F.2 Export Price of PUI

39. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the circumventing country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. Taeyang World Sdn. Bhd., an exporter from Malaysia filed the Exporter Questionnaire Response. However, the Authority for the reasons already explained in the relevant paragraphs found that the response was grossly inadequate to ascertain the relevant facts for the purpose of the present investigation. It

may be added that vide email dated 10th January, 2021, the Authority informed the exporter that they had not submitted the information in the form and manner as prescribed in the Exporter's Questionnaire Response, and certifications by legal representative and Chief executive (Format A, B and C) are not provided with the response. It was also informed that various Appendices (from 1 to 9) prescribed in Exporter's Questionnaire have not been filled up entirely, and in the form and manner prescribed, and are not certified. They were also informed that all the appendices are required to be submitted in the excel sheet with formula linked. It was also informed that since Taeyang distribution services is involved in the distribution channel in India, therefore they need to file a separate response for examination. Their attention was invited to Para 7 of Annex II of Agreement on implementation of Article VI of GATT, 1994 which states that:

"if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favorable to the party than if the party did cooperate."

40. However, the exporter did not respond or clarified/rectified the deficiencies raised.
41. Thus, it is noted that the sole responding exporter from Malaysia has provided grossly deficient information with regard to exports of the product under investigation to India. For reasons stated herein above, the Authority concludes that the response filed by the exporter cannot be accepted and, therefore, has determined the export price on the basis of the DGCI&S import data.
42. It is seen that DGCI&S data shows imports of 4,787 MT product under investigation at an average export price of 1.09 US\$ per kg. The CIF export price determined from DGCI&S has been adjusted for ocean freight, marine Insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight charges on the basis of facts available to determine export price at ex-factory level. The net export price so determined is **US\$ 1.03/Kg**.

F.3 Dumping Margin of PUI

43. On the basis of the above stated normal value and export price so determined at ex-factory level, the dumping margin has thus been worked, which is as follows.

Particulars	Unit	Malaysia
Normal Value	US\$ per Kg	2.35
Net Export Price	US\$ per Kg	1.03
Dumping Margin	US\$ per Kg	1.32
Dumping Margin	%	128
Dumping	Range	120-140

F.4 Effect of circumvention on Net Sales Realization of PUC of DI during POI

44. With regard to the effect of imports of PUI on the prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the circumvented imports as compared to the price of the like products in India. The Authority proposes to consider the same as under;

Price Undercutting	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Import volume	MT	-	2,212	4,843	4,787
Landed price of imports	Rs/MT	-	90,858	98,343	86,661
Net sales realization	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	-	120-140	120-140	170-190

45. It is seen that the landed price of imports is significantly below selling price of the domestic industry since 2017-18. The price undercutting increased over the injury period.

F.5 Erosion of Efficacy of existing AD Duty on PUC during POI

46. The Authority has determined the quantum of ADD that would have been payable on imports of the product under investigation from Malaysia. The Table below quantifies the amount of erosion of anti-dumping measures on PUI:

Period	Imports-Quantity from Malaysua	Anti-Dumping Duty on PUC - China	Exchange Rate	Anti-Dumping Duty	Erosion of AD Duty
	MT	US\$/Kg		Rs/MT	Rs.Lacs
2016-17	-	1.04	67.95	70,669	0
2017-18	2,212	1.04	65.33	67,943	1,502.90
2018-19	4,843	1.04	70.82	73,653	3,567.01
POI	4,787	1.04	71.65	74,516	3,567.08
Total					8,636.99

47. It is seen that an amount of Rs. 8637 lacs was payable on these imports, if declared as Chinese origin.

G. POST DISCLOSURE COMMENTS**H. COMMENTS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY**

48. Following submissions have been made by domestic industry:
- The domestic industry agrees with the conclusion drawn by the Authority. Nonetheless, it has reiterated that, there is a change in pattern of trade, the responding exporter submitted a deficient response, exporter's related party "Yitong" is part of China based Yitong Industries Co. Ltd. (Dongguan Yitong Arts and Crafts Ltd.), exporter has also submitted misleading statements about its trade channel. It first stated that Yitong is not engaged in distribution in India. But later it corrected, upon being pointed out by the domestic industry that it sells the product in India. No responses filed for Taeyang Distribution and Yitong also shows attempt to hide facts.
 - the European Commission has also found circumvention being resorted by Chinese producers/exporters of the subject goods shows that the Chinese producers are habitual of such behaviour, and found an incidence of Chinese exporter/producer fraudulently claiming a different country of origin.
 - Circumvention of duties by China PR in the form and manner as seen in this investigation, has also undermined the duties, as would be seen from the impact on market share, levels of price undercutting and significant dumping margin.

I. COMMENTS MADE BY OTHER INTERESTED PARTIES

49. None of the exporters, importers, consumers, and other interested parties has filed any comment or submissions, post issuance of the disclosure statement.

J. Examination by the Authority

50. The Authority notes that most of the submission by the domestic industry and interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this finding.

K. CONCLUSION

51. Having examined the contentions of the domestic industry and other interested parties and based on the analysis as above, the Authority concludes that:
- The Authority notes that there has been a change in pattern of trade in case of PUI. Imports of PUI have increased significantly since 2017-18, and that from China has declined.
 - There appears no economic justification other than imposition of duties for such change in pattern of trade.
 - Imports of PUI are entering at dumped prices.

- d. The import of PUI have undermined the remedial effect of existing AD measure on PUC imposed vide Custom Notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018.
- e. Since dumping margin is above *de minimis*, the commercial gain due to erosion of AD duty on PUC has benefitted producers/exporters by exporting PUI.

L. RECOMMENDATION

52. The Authority keeping in view the aforesaid, recommends extension of the existing Anti-dumping duty on subject goods originating or exported from China PR, imposed vide Custom Notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018, on PUI. tabulated as below, subject to following:

The validity of the Anti-dumping duty on PUI would be co-terminus with the duty on PUC i.e. “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating or exported from China PR, through Custom Notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018.

Duty Table

S.N.	Sub-Heading ***	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6911 & 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any	Malaysia	Malaysia	Any	Any	1.32	kg	US Dollar
2	6911 & 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any	Malaysia	Any	Any	Any	1.32	kg	US Dollar
3	6911 & 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any	Any other then Malaysia and China PR	Malaysia	Any	Any	1.32	kg	US Dollar

***Note - Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code

53. Landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

M. Further Procedure

54. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority